BHADOHI POLICE

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-12.05.2025

◆थाना गोपीगंज पुलिस टीम को मिली सफलता

◆ थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत महिला के गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार

◆घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चापड़नुमा चाकू धारदार बरामद

◆आपसी विवाद को लेकर आवेश में आकर आरोपी द्वारा महिला पर हमला कर किया था हत्या

थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जगरनाथपुर में दिनांक 10.05.2025 की रात्रि में आवेदिका की मां के गर्दन पर धारदार हथियार से आरोपी द्वारा हमला कर घायल कर दिया था जिनके इलाज हेतु जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर से ट्रामा सेंटर बीएचयू वाराणसी भेजा गया था, इलाज के दौरान आवेदिका की मां पार्वती देवी उम्र करीब 40 वर्ष की दि0 11.05.2025 को सुबह में मृत्यु हो गई। सूचना स्थानीय पुलिस व पुलिस उच्चाधिकारीगण द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आरोपी के विरुद्ध थाना गोपीगंज पर मु0अ0सं0-230/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

श्री अभिमन्यु मांगलिक पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा घटना में शामिल आरोपी के शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में दिनांक 11/12.05.2025 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा महिला के गर्दन पर हमला कर मृत्यु कारित करने के वांछित अभियुक्त रामकुमार उर्फ जैकी पुत्र रामनरेश निवासी जगरनाथपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही को अलमऊ की तरफ जाने वाले रास्ते से से गिरफ्तार किया गया एवं कब्जे से हत्या की घटना में प्रयुक्त आला कत्ल धारदार चापड़नुमा चाकू बरामद किया कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान सम्बंधित मा0 न्यायालय किया गया।

घटना के संबंध में पूछताछ में मृतका पार्वती व आरोपी के बीच करीब 5 वर्षो से आपसी संबंध था।इसी दौरान कुछ विवाद से मृतका दूर रहने लगे इस आवेश में आकर आरोपी रामकुमार उर्फ जैकी उपरोक्त द्वारा इस घटना को कारित किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

रामकुमार उर्फ जैकी पुत्र रामनरेश निवासी जगन्नाथपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही

बरामदगी

हत्या की घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार चापड़नुमा चाकू

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1 प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज डॉ0 आशुतोष कुमार तिवारी

2.उ0नि राजेश कुमार यादव

3.मु0आ0 शिवसहाय उपाध्याय

4.आरक्षी अगम कुमार

5.आरक्षी वीरेंद्र कुमार गुप्ता